[1]माननीय न्यायाधीश श्री बल राज तुली जी और प्रीतम सिंह पटर जी के समक्ष से

निहाल सिंह आदि,-याचिकाकर्ता।

बनाम।

हरियाणा राज्य आदि,-प्रतिवादी।

1974 की सिविल रिट याचिका संख्या 208 9

17 सितम्बर 1974.

हरियाणा भूमि जोत कर अधिनियम {1973 का XVIII संशोधित रूप में) - धारा 2. 3, 5, 6 और 7 - एक परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि का एकत्रीकरण ■ बढ़े हुए राजस्व को बढ़ाने के लिए - चाहे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो - राज्य गो* वीभत्स -क्या इस तरह के एकत्रीकरण के लिए प्रावधान करने में सक्षम है -संशोधित धारा 3 -क्या एक परिवार के सभी सदस्यों की भूमि के एकत्रीकरण के लिए प्रावधान करता है,

यह माना गया कि एक परिवार और एक परिवार के बीच कोई असमानता नहीं है या एकत्रीकरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा भूमि होल्डिंग टैक्स अधिनियम, 1973 में परिभाषित अनुसार एक परिवार के सभी सदस्यों की भूमि एकत्रित की जाती है और एकत्रित होल्डिंग पर कर लगाया जाता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

है। एक परिवार के सभी सदस्यों की कुल जोत और एक व्यक्ति के पास मौजूद कुल भूमि के बीच कोई तुलना नहीं है। दोनों एक अलग स्तर पर खड़े हैं और कराधान के प्रयोजनों के लिए दो अलग-अलग वर्ग हैं। विधानमंडल द्वारा किया गया वर्गीकरण अनुचित नहीं है। कर योग्य इकाइयों, कर लगाने की स्थिति और कर की दर को निर्धारित करना विधानमंडल के लिए खुला है। यदि वे स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और सुनिश्चित करने योग्य हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एकत्रीकरण. पति, 4M पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों वाले परिवार के सदस्यों की भूमि का भी अतार्किक या अनुचित नहीं है। पत्नी और नाबालिग बच्चों की टीबी® भूमि का प्रबंधन और खेती आम तौर पर की जाती है

निहाल चिन्ह आदि वि हरियाणा राज्य आदि।

नाबालिग बच्चों के पति या पिता द्वारा पंजाब और पेप्सू दोनों में भूमि पर सीलिंग के संबंध में आसन्न कानून के मद्देनजर भूमि के मालिकों ने अपनी पत्नियों और बच्चों के पक्ष में उपहार दिए थे। परिवार के सभी सदस्यों के पास मौजूद भूमि से, बड़ी जोत से बड़ा राजस्व प्राप्त करने का अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति, जो परिवार का सदस्य नहीं है, की तुलना उस व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो परिवार का सदस्य है, '(टीसीएफ) को उपलब्ध विभिन्न लाभों को ध्यान में रखते हुए भूमि के बड़े हिस्से की संयुक्त खेती सभी की तुलना में अधिक किफायती है। व्यक्तिगत भूस्वामियों द्वारा जोत। फिर, यह

पति को पत्नी और नाबालिग बच्चों के लिए देय कर में से अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन कर का भुगतान भूमि मालिकों द्वारा किया जाना चाहिए जैसा कि अधिनियम की धारा 6 और 7

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

में प्रावधान है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 3(2) में 'जमींदार' की परिभाषा के अनुसार, ldch एपीपी का अर्थ "जमींदार" है जैसा कि धारा 2(k) °f e अधिनियम के आधार पर अधिनियम में उपयोग किया गया है, एक व्यक्ति किसी संपत्ति के लाभ के किसी भाग पर कब्ज़ा करना या उसका उपभोग करना भूस्वामी है। वह जमीन का मालिक नहीं हो सकता है, जैसे कब्जे वाला गिरवीदार या ऐसा व्यक्ति जिससे जमीन पर खेती की गई हो, भू-राजस्व की वसूली के लिए कार्यवाही में या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य किसी भी राशि में या किरायेदार को छोड़कर किसी अन्य क्षमता में या भू-राजस्व का एक समनुदेशिती। भूमि जोत का एकत्रीकरण

एक परिवार के सभी सदस्यों का कर केवल उस विशेष भूमि जोत पर कर की गणना करने के उद्देश्य से होगा, न कि एक व्यक्ति से इसे वसूलने के लिए जब तक कि वह एकमात्र भूमि मालिक न हो। करयोग्य इकाई का निर्धारण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है जबकि कर का भुगतान भू-स्वामी द्वारा किया जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास पूरी भूमि या उसके एक भाग का स्वामित्व है या जो संपूर्ण भूमि या उसके एक भाग का उपभोग करता है। वहाँ का मुनाफा. कर का बोझ ज़मीन के मालिक पर तब तक नहीं पड़ता जब तक कि वह ज़मीन का मालिक भी न हो, यानी पूरी जोत पर उसका कब्ज़ा न हो।

इसलिए बढ़े हुए राजस्व को जुटाने के लिए एक परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि का एकत्रीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। वर्गीकरण के मामले में राज्य को अपनी पुलिस शक्ति की तुलना में कराधान की शक्ति के तहत व्यापक विवेक की अनुमति है। इस व्यापक विवेक का एक कारण, निस्संदेह, विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा राजस्व की तत्काल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

आवश्यकता है। किसी राज्य को किसी चीज़ पर कर लगाने के लिए हर चीज़ पर कर नहीं लगाना पड़ता है। इसे कराधान के लिए जिलों, वस्तुओं, व्यक्तियों, तरीकों और यहां तक कि दरों को चुनने और चुनने की अनुमति है, अगर यह उचित रूप से ऐसा करता है। (पैरा 6, 9 और 12)

अधिनियम की संशोधित धारा 3 के अनुसार, भूमि धारण का अर्थ किसी विशेष संपत्ति में किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली सभी भूमि का योग है। इसमें (परिवार के सदस्यों के पास अपने व्यक्तिगत नाम पर भूमि रखने का कोई संदर्भ नहीं है जैसा कि मूल धारा 3 में मामला था। भूमि-धारण इकाई के रूप में परिवार की अवधारणा अधिनियम के अधिनियमन से पहले विधानमंडल को ज्ञात थी क्योंकि यह इसका उपयोग हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 में किया गया था। उस अधिनियम के तहत, प्राथमिक भूमि-धारण इकाई को एक परिवार के रूप में निर्धारित किया गया था और केवल उन व्यक्तियों को, जिनके पास कोई परिवार नहीं था या वे न्यायिक व्यक्तियों की तरह परिवार रखने में असमर्थ थे, के रूप में व्यवहार किया गया

भूमि के व्यक्तिगत धारक. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार अधिनियम में परिभाषित है। इसके अधिनियमन से पहले यह कानून या विधानमंडल के लिए अज्ञात था। दोनों अधिनियमों में परिवार की लगभग एक ही परिभाषा अपनाई गई जिससे वास्तव में एक ही विषय पर अधिनियमों की एक श्रृंखला बन गई। मामला। यह सच है कि किसी विशेष संदर्भ में प्रावधानों को किसी अन्य क़ानून के संदर्भ में समझना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह स्वीकार्य है जहां ''एक ही विषय-वस्तु से संबंधित क़ानूनों की एक श्रृंखला शामिल है, अधिनियम में जिस प्रकार के परिवार के बारे में पता चला है कानून और घास को,

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

उसी विधानमंडल द्वारा पिछले अधिनियम में भूमि स्वामित्व की इकाई बना दिया गया है, यह मानना वैध है कि जब संशोधित अधिनियम की धारा 3 में, एक परिवार के स्वामित्व वाली भूमि स्वामित्व का उल्लेख किया गया है, तो यह परिवार की भूमि स्वामित्व का संदर्भ लें, न कि इसे बनाने वाले व्यक्तिगत सदस्यों की भूमि स्वामित्व का। यह राजकोषीय कानूनों की व्याख्या का मुख्य सिद्धांत है कि यदि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाना है वह कानून के अक्षरशः लागू होता है, तो उस पर कर अवश्य लगाया जाना चाहिए, भले ही न्यायिक दृष्टि से कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो। दूसरी ओर, यदि कर वसूलने की मांग करने वाला क़ानून विषय को कानून के अक्षर के भीतर नहीं ला सकता है तो विषय स्वतंत्र है1, हालांकि स्पष्ट रूप से कानून की भावना के भीतर 'मामला: अन्यथा प्रतीत हो सकता है। यदि संशोधित अधिनियम की धारा 3 में 'परिवार' शब्द को अर्थ देने के लिए किसी शब्द की आपूर्ति की जानी है, तो एक शब्द जो विषय के पक्ष में व्याख्या में मदद करेगा, उस शब्द के स्थान पर दिया जाएगा जो व्याख्या में मदद करेगा। राज्य के पक्ष में. इसलिए, किसी परिवार के स्वामित्व वाली भूमि का मतलब किसी परिवार द्वारा सामूहिक रूप से रखी गई और स्वामित्व वाली भूमि है, न कि उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, और इसलिए, हालांकि राज्य सरकार परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों के स्वामित्व वाली या धारित भूमि को एकत्रित करने का प्रावधान कर सकती है। उस भूमि के निर्धारण के प्रयोजन के लिए जिस पर कर लगाया जाना है, अधिनियम की धारा 3, जैसा कि अब लागू है, उस एकत्रीकरण का प्रावधान नहीं करती है। (पैरा 14 और 22)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरारी परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश] या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जो अधिनियम के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

साथ-साथ दो पुल्स को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दे। भारत सरकार, और आगे प्रार्थना कर रही है कि मामले के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं से भूमि धारण कर की वसूली पर रोक लगा दी जाए। आज्ञापत्र।

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील ए.एस. नेल्मा और के.आर. चौधरी।

प्रतिवादियों की ओर से जे.एन. कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा और सी. डी. दीवान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, हस्तक्षेपकर्ता के रूप में के.पी. भंडारी, और आई. बी. भंडारी, ■

निर्णय

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

माननीय न्यायाधीश श्री टुल्ल,जी

1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

निहाल सिंह आदि हरियाणा राज्य आदि (बी. द्वितीय. टुल्ल, जे.)

हरियाणा भूमि जोत कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद संदर्भित)

अधिनियम के रूप में), जो 27 अप्रैल, 1973 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ था। उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 30 अगस्त, 1973 को जारी अधिसूचना द्वारा 3) अधिनियम की धारा 1 के. यह अधिनियम उसी तिथि से लागू किया गया था।

हालाँकि, हरियाणा भूमि होल्डिंग्स टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 1973 ने धारा 1 की उपधारा (3) में संशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम 16 जून, 1973 को लागू हुआ। हरियाणा के राज्यपाल, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13. हरियाणा भूमि होल्डिंग्स टैक्स नियम, 1973 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) नामक नियम बनाए गए, जिन्हें 13 नवंबर, 1973 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (विधान अनुपूरक) में प्रकाशित किया गया था। हरियाणा लैंड होल्डिंग्स टैक्स (संशोधन) अध्यादेश (1974 के क्रमांक 1) ने अधिनियम में धारा 5ए जोड़ी, धारा 11 की उपधारा (2) को हटा दिया और अनुसूची 1 को एक नई अनुसूची द्वारा अधिनियम में प्रतिस्थापित कर दिया। अंत में, 30 अगस्त, 1974 को, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा हरियाणा भूमि होल्डिंग्स टैक्स (दूसरा संशोधन) अध्यादेश (1974 का नंबर 5) प्रख्यापित किया गया, जिसने अधिनियम की धारा 2 और धारा 3 के खंड (i) को नए प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

2) यह याचिका 1974 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 5 के प्रख्यापित होने से पहले दायर की गई थी और इसलिए, इसके प्रावधानों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसकी सुनवाई इसी तरह की कई अन्य रिट याचिकाओं के साथ की गई है। रिट-याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों ने अपनी याचिकाओं में संशोधन करने के लिए समय देने की प्रार्थना की ताकि अध्यादेश द्वारा किए गए प्रावधानों को चुनौती दी जा सके, लेकिन हमने उन्हें याचिकाओं में औपचारिक रूप से संशोधन किए बिना बिंदुओं पर बहस करने की अनुमति दी है। इस प्रकार मामलों में अधिनियम के सभी पहलुओं पर पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा विस्तार से बहस की गई है, लेकिन किसी भी नियम की अमान्यता के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है। अधिनियम में अध्यादेशों द्वारा किए गए सभी संशोधन 16 जून, 1973 से लागू किए गए हैं, जो वह तारीख है जिस दिन अधिनियम लागू हुआ था और इसलिए, अधिनियम के सभी प्रावधान, आज तक संशोधित किए गए हैं। , 16 जून 1973 से प्रभावी माना जाएगा।

3) इस याचिका के गुण-दोषों पर विचार करने से पहले, मैं बता सकता हूं कि 136 याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने यह संयुक्त याचिका दायर की है लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने मामले के विशेष तथ्य नहीं दिए हैं और अधिनियम के प्रावधानों को संक्षेप में चुनौती दी गई है। यह बताए बिना कि वे प्रावधान उनके अधिकारों को कैसे प्रभावित करते हैं। भूमि स्वामित्व अधिनियम के प्रावधानों को सभी कल्पनीय और काल्पनिक आधारों पर संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

रूप में चुनौती दी गई है, चाहे वे तथ्य मौजूद हों या नहीं, मेरे विचार में किसी याचिका से पहले अधिनियम की संवैधानिक वैधता या संवैधानिक वैधता को चुनौती देना यह बताना कर्तव्य है अपने स्वयं के मामले के तथ्यों और आक्षेपित स्टैंडी के प्रावधानों को नि:शुल्क सार्वजनिक रूप से चुनौती देने के लिए दलील देने के लिए। हमने नियम को माफ कर दिया है और सुविधाओं के लिए उन सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला किया है। आठ सौ से अधिक रिट याचिकाओं पर निर्णय लें जो इस अधिनियम की शक्तियों को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय में दायर की गई हैं, लेकिन इसे भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

4) विद्वान वकील के तर्कों से निपटने से पहले, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना उपयोगी होगा। वस्तुओं और कारणों का विवरण इस प्रकार है:-

"वस्तुओं और कारणों का कथन।

राज्य सरकार ने भू-राजस्व के रूप में प्राप्त अपनी आय की पूर्ति के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत विभिन्न शुल्क लगाए। इनमें से कुछ शुल्क थे (i) पंजाब भूमि राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1954 के तहत अधिभार; (ih विशेष शुल्क, पंजाब भूमि राजस्व (विशेष शुल्क) अधिनियम, 1958 के तहत; (iii) अतिरिक्त अधिभार, हरियाणा भूमि राजस्व (अतिरिक्त अधिभार) अधिनियम, 1969 के तहत: और (iv) पंजाब वाणिज्यिक के तहत वाणिज्यिक फसलों पर उपकर फसल उपकर अधिनियम, 1963, इत्यादि। यह स्पष्ट रूप से राज्य के लिए भूमि की उपज के बढ़े हुए हिस्से का दावा करने के लिए किया गया था, उन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

भूस्वामियों से जो विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में राज्य द्वारा किए गए भारी निवेश के प्रत्यक्ष लाभार्थी थे, जैसे ., सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई के गुणन को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि विश्वविद्यालय और किसानों को अन्य सुविधाएं, आदि।

(2) समय बीतने के साथ यह महसूस किया गया है कि इन सभी शुल्कों का संग्रह न केवल राजस्व एजेंसी के लिए बोझिल था, जिसे विभिन्न मदों के तहत अलग-अलग गणनाएं बनाए रखनी पड़ती थीं; लेकिन यह कृषक के लिए भी उतना ही बोझिल था। इस असंतोषजनक स्थिति को ठीक करने के लिए, इसे समेकित करने का निर्णय लिया गया है''

ऐसे सभी शुल्कों को एक ही कर में बदल दिया जाता है जिसे 'भूमि धारण कर' के नाम से जाना जाता है।

(3) केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले कृषि उत्पादन में निस्संदेह वृद्धि को देखते हुए और कारणों के संदर्भ में भू-राजस्व आदि से आय में पर्याप्त वृद्धि करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसे ('राज समिति') के नाम से जाना जाता है। ऊपर पैरा 1 में दिया गया है। इस समिति ने विभिन्न सिफारिशें कीं जिनमें से मुख्य विशेषताएं हैं: (ए) किसी भी भूमि कर के संग्रह के उद्देश्य के लिए प्रगति का एक तत्व होना चाहिए; और (बी) 'यूनिट होल्डिंग' पारिवारिक होल्डिंग होनी चाहिए। अब प्रस्तावित विधेयक में इन दोनों अवधारणाओं को इस राज्य में मौजूदा परिस्थितियों में संभव सीमा तक शामिल करने का प्रयास किया गया है। शुद्ध परिणाम यह है कि नया कर, जिसे 'भूमि होल्डिंग कर' के नाम से

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

जाना जाता है, राज्य में लगाए जाने का प्रस्ताव है और यह ऊपर बताए गए विभिन्न करों, उपकरों आदि और अन्य लेवी का स्थान लेगा। इसलिए यह विधेयक.

आज तक संशोधित वैधानिक प्रावधान, जो इन मामलों में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नलिखित हैं: -

धारा 2(डी) 'परिवार' का अर्थ है पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, या उनमें से कोई दो या अधिक;

स्पष्टीकरण–विवाहित पुत्री को संतान नहीं माना जाएगा;

(4) 'भूमि स्वामित्व' का वही अर्थ होगा जो धारा 3 में दिया गया है;

(5) 'भूमि धारण कर' का अर्थ धारा 5 के तहत लगाया और वसूला जाने वाला कर है और इसे इसके बाद कर के रूप में संदर्भित किया जाएगा;

(6) 'निर्धारित' का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(7)'अनुसूची' का अर्थ इस अधिनियम से जुड़ी एक अनुसूची है; और

(8) (के) यहां प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां और नहीं

परिभाषित लेकिन पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887, या में परिभाषित

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 का वही अर्थ होगा जो इनमें से किसी भी अधिनियम में दिया गया है

धारा 3. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली किसी विशेष संपत्ति में सभी भूमि का कुल योग 'भूमि धारण' है।

धारा 5. (1) प्रत्येक भूमि जोत पर, अनुसूची I में निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों की भूमि पर, अनुसूची H में निर्दिष्ट दरों पर कर लगाया और वसूला जाएगा;

बशर्ते कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 59 या पंजाब भूमि राजस्व (विशेष मूल्यांकन) अधिनियम, 1955 के तहत विशेष मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी भूमि पर कोई कर लगाया या चार्ज नहीं किया जाएगा।

अनुसूची II में निर्दिष्ट दरें तीस वर्षों की अवधि तक जारी रहेंगी:

(2) परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा दरें पच्चीस प्रतिशत तक कम की जा सकेंगी।

(3) उपधारा (1) के तहत कर लगाए जाने और वसूले जाने की अवधि के दौरान, भूमि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के तहत सामान्य मूल्यांकन के माध्यम से भू-राजस्व के भुगतान या पंजाब

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

पंचायत के तहत स्थानीय दर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। समितियाँ और जिला परिषद अधिनियम, 1961।

(4)किसी भूमि जोत पर कर की गणना के प्रयोजनों के लिए, जहां इसमें दो या दो से अधिक वर्गों की भूमि शामिल है, विभिन्न वर्गों की भूमि को अलग-अलग स्लैब में रखा जाएगा, ताकि उच्चतम या अगले वर्ग या वर्गों की भूमि को रखा जा सके। पहले स्लैब में, और फिर अगले वर्ग या वर्गों की भूमि को दूसरे स्लैब में और शेष भूमि को तीसरे स्लैब में रखा जाता है।

(5) धारा 6. धारा 5 हॉल के तहत प्रभार्य टीएसी एक भूस्वामी द्वारा दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में खेला जा सकता है जब तक कि अन्यथा किसी संपत्ति या संपत्ति के समूह के लिए निर्धारित न किया गया हो।

धारा 7. (1) मूल्यांकन प्राधिकारी तैयार, जांच और प्रदर्शित तरीके से करेगा

भूमि जोत पर देय कर के संबंध में सूची। अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित विशेष, अर्थात्: -

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(जमीन मालिक का नाम; परिवार के मामले में, जमीन मालिकों के नाम;

(ए)भूमि का खसरा नंबर:

(बी)भूमि का वर्ग;

(सी)भूमि का क्षेत्रफल:

(डी)उद्ग्रहणीय कर की दर;

(ई)देय कर की राशि; और

किसी भूस्वामी द्वारा या प्रत्येक भूस्वामी द्वारा देय कर की राशि, यदि वह परिवार का सदस्य है।

(2) उप-धारा (1) के तहत तैयार की गई सूची में किसी भी प्रविष्टि के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है, तो वह पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन प्राधिकारी को आपत्तियां दर्ज करा सकता है।

(3) मूल्यांकन प्राधिकारी निर्धारित तरीके से अधिसूचित की जाने वाली निर्दिष्ट तिथि और समय पर संपत्ति में एक प्रमुख स्थान पर आपत्तियों का सारांश तरीके से निपटान करेगा। आपत्तिकर्ता यदि चाहे तो मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है और आपत्तियों के समर्थन में मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(4) उप-धारा (1) के तहत तैयार की गई सूची को तदनुसार अनुमोदित या अधिसूचित किया जाएगा और उसी स्थान पर इसकी घोषणा की जाएगी।

(5) उप-धारा (4) के तहत तैयार की गई सूची के आधार पर लार्ड होल्डिंग पर लगाए गए कर की राशि, विरासत, हस्तांतरण या अन्यथा के परिणामस्वरूप तब तक भिन्न नहीं होगी जब तक कि 1 मई को सूची संशोधित न हो जाए। अगले वर्ष।

धारा 8. (1) धारा 7 की उपधारा (4) के तहत निर्धारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, सहायक आयोग में अपील कर सकता है। ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि सहायक आयुक्त तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था,

सहायक आयुक्त ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

कोई भी व्यक्ति जो सहायक आयुक्त के आदेश से व्यथित है। उप-धारा (1) के तहत बनाया गया एक मिशनर, आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है ताकि ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती दी जा सके और आयुक्त ऐसा आदेश पारित कर सके। जैसा कि वह उचित समझे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

पूर्वगामी उपधाराओं में किसी भी बात के बावजूद, वित्तीय आयुक्त, किसी भी समय, ऐसी कार्यवाहियों की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की किसी भी कार्यवाही या आदेश का रिकॉर्ड मांग सकता है। या आदेश दे सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

बशर्ते कि कोई भी आदेश किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

धारा 9. (1) इस अधिनियम के तहत एक प्राधिकारी, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या इच्छुक पार्टी के आवेदन पर, समीक्षा कर सकता है, और इस प्रकार समीक्षा करने पर, स्वयं या अपने किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित, उलट या पुष्टि कर सकता है। कार्यालय में हूँ:

निम्नानुसार प्रदान किया गया:-

जब कोई मूल्यांकन प्राधिकारी या सहायक आयुक्त किसी आदेश की समीक्षा करने का प्रस्ताव करता है, चाहे वह स्वयं या कार्यालय में उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो, तो उसे पहले क्रमशः सहायक आयुक्त या आयुक्त की मंजूरी प्राप्त करनी होगी;

किसी आदेश की समीक्षा के लिए कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आदेश पारित होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर न किया गया हो;

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

किसी आदेश को तब तक संशोधित या उलटा नहीं किया जाएगा जब तक प्रभावित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो; और

जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी समीक्षा नहीं की जाएगी।

किसी भी आदेश की समीक्षा करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी।

इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा संशोधन या समीक्षा के लिए की गई कोई भी अपील या आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा मांगे गए कर की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

अधिनियम की अनुसूची I में हरियाणा के जिलों में भूमि के विभिन्न वर्गों की गणना की गई है और अनुसूची II भूमि धारण कर की दरों को निर्धारित करती है और इस प्रकार है: -।

अनुसूची II

भूमि धारण कर की दरें

[धारा 5(1)]

अनुसूची I में निर्दिष्ट श्रेणी I भूमि के मामले में, जो भूमि धारण में शामिल है, निम्नलिखित दरों पर:

पहले एक हेक्टेयर के लिए सत्तर पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर;

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

अगले चार हेक्टेयर के लिए प्रति 0.05 हेक्टेयर एक रुपया;

शेष भूमि के लिए प्रति 0.05 हेक्टेयर एक रुपया पैंतीस पैसे।

श्रेणी II भूमि के मामले में, अनुसूची I में निर्दिष्ट, भूमि धारण में शामिल, निम्नलिखित दरों पर: -

(ए) पहले एक हेक्टेयर के लिए साठ पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर;

. (अगले चार हेक्टेयर के लिए बीजे नब्बे पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर;

(ई) शेष भूमि के लिए प्रति 0 05 हेक्टेयर एक रुपया बीस पैसे।

अनुसूची I में निर्दिष्ट श्रेणी III भूमि के मामले में। निम्नलिखित दरों पर भूमि स्वामित्व का मूल्य निर्धारण:

पहले एक हेक्टेयर के लिए चालीस पैसे प्रति 005 हेक्टेयर;

अगले चार हेक्टेयर के लिए पचास पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर;

शेष भूमि के लिए साठ पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

अनुसूची I में निर्दिष्ट वर्ग IV भूमि के मामले में, निम्नलिखित दरों पर भूमि धारण में कोनी का मूल्य निर्धारण किया गया।

पहले एक हेक्टेयर के लिए पच्चीस पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर;

अगले चार हेक्टेयर के लिए चालीस पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर:

शेष भूमि के लिए पचास पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर।

वर्ग V भूमि के मामले में, अनुसूची I में निर्दिष्ट, निम्नलिखित दरों पर भूमि धारण में शामिल है: -

पहले एक हेक्टेयर के लिए दस पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर;

अगले चार हेक्टेयर के लिए पंद्रह पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर;

*

शेष भूमि के लिए बीस पैसे प्रति 0.05 हेक्टेयर।"

'परिवार' और 'भूमि स्वामित्व' की परिभाषाएँ निर्धारित करना भी आवश्यक है, जैसा कि मूल रूप से अधिनियम की धारा 2 (डी) और धारा 3 में लागू किया गया था, जो इस प्रकार थीं: -

धारा 2(डी) 'परिवार', किसी व्यक्ति के संबंध में उसका अर्थ उसके पति या पत्नी और उनके बच्चे हैं जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

स्पष्टीकरण.-एक विवाहित बेटी को एक बच्चे के रूप में नहीं माना जाएगा;

धारा 3. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, 'भूमि धारण' का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष संपत्ति में स्वामित्व वाली भूमि है, यदि वह परिवार का एकमात्र सदस्य है या परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि का कुल योग है। "

कानून के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अधिनियम की अनुसूची II में स्लैब प्रणाली शुरू की गई थी ताकि प्रगति का तत्व प्रदान किया जा सके और परिवार की हिस्सेदारी को इकाई होल्डिंग बना दिया गया। इसके अलावा, भूमि की उपज का बढ़ा हुआ हिस्सा इकट्ठा करने के लिए

बता दें कि मूल रूप से अधिनियमित अधिनियम की धारा 3 जे में भूस्वामियों से एक परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि को एकत्रित करने का प्रावधान किया गया था। टीएमएस प्रावधान में केन अटैची ने कॉन्स^*à.u.^ऑन के Aiti*^ 11 का उल्लंघन किया है ... *-" ग्रो^^ए। •जमीन रखने वाले परिवार के एक सदस्य के साथ रिस-ए-आरएच* आर में भेदभाव किया गया है। भूमि का व्यक्तिगत मालिक जो नहीं है: एक सदस्य परिवार जिसमें मेरे और मेरे बीच कोई अंतर नहीं है। .: यह प्रस्तुत किया गया है कि परिवार के एक व्यक्तिगत सदस्य पर एमएस भूमि एमएमएमसी के संबंध में भारी कर का बोझ डाला जाएगा: $ व्यक्तिगत भूमिधारकों की तुलना में, वर्गीकरण के लिए केवल अस्थायी अंतर नहीं। . चूंकि विद्वान महाधिवक्ता ने मेरे उत्तरदाताओं से यह तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा ओ, जैसा कि संशोधित है, और अब लागू है, मेरे लिए सदस्यों 01 ए के स्वामित्व वाली भूमि को अस्वीकार

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

करने का भी प्रावधान करती है। जैसा कि लिखा गया है, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या ऐसा प्रावधान या एकत्रीकरण किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने, अपनी दलील के समर्थन में, कुनोस्थत थाथुन्नी अफूपिल ए'सीडीआर में सर्वोच्च न्यायालय के अपने आधिपत्य के फैसले पर भरोसा किया है। आदि बनाम केरल राज्य और अन्य (11. जिसमें रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ होती हैं: -

"अनुच्छेद 265 राज्य की कर लगाने की शक्ति पर एक सीमा लगाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि राज्य कर नहीं लगाएगा या एकत्र नहीं करेगा। कानून के अधिकार को छोड़कर। कहने का मतलब है। केवल एक कार्यकारी द्वारा कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है। आदेश। इसे कानून के प्राधिकार द्वारा किया जाना चाहिए। जिसका अर्थ वैध कानून होना चाहिए। ताकि कानून माव

वैध हो, कर लगाने का प्रस्ताव विधानमंडल की विधायी क्षमता और उसके संग्रह को अधिकृत करने का है। दूसरे, एमएक्स को संविधान के अनुच्छेद ^° में निर्धारित शर्तों के अधीन होना चाहिए। अनुच्छेद 13(2) में परिकल्पित ऐसी शर्तों में से एक यह है कि विधायिका ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो समानता खंड को हटाता है या कम करता है अनुच्छेद 14 जो राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या समान सुरक्षा से वंचित न करे। देश के कानूनों के बारे में विवादित नहीं किया जा सकता है कि यदि अधिनियम के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है

द्वितीय

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

संविधान, इसे असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए

"•'इल

कानून में समान सुरक्षा की गारंटी कर लगाने वाले कानूनों तक भी फैली हुई है। इससे अन्यथा संपर्क नहीं किया गया है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति पर समान रूप से कर लगाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि यदि एक ही प्रकार की संपत्ति पर कर लगाया जाना है, तो कराधान 2 एक ही मानक के अनुसार होगा, ताकि कराधान का बोझ उस प्रकार और सीमा की संपत्ति रखने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ सके। यदि कराधान, आम तौर पर, कराधान के आधार पर संपत्ति के उस विशेष प्रकार और सीमा के संदर्भ में हर किसी पर समान बोझ डालता है, तो कानून असमानता के आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं होगा, भले ही इसका परिणाम हो कराधान कुल बोझ हो सकता है

अलग-अलग व्यक्तियों पर विधानमंडल ने अलग-अलग श्रेणियों को वर्गीकृत किया है, जिनके संदर्भ में कराधान असमान है, व्यक्ति या इसलिए, यदि संपत्तियों को आय या संपत्ति के लिए अलग-अलग दरों के अधीन किया जाता है, तो ऐसा वर्गीकरण जमीन पर असमानता के हमले के लिए खुला नहीं होगा। इस तरह के वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाला कुल बोझ असमान है। इसी तरह, विभिन्न प्रकार की संपत्ति पर कराधान की अलग-अलग दरें हो सकती हैं, लेकिन जब तक वर्गीकरण के लिए तर्कसंगत आधार है, तब तक अनुच्छेद 14 ऐसे वर्गीकरण के रास्ते में नहीं आएगा जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों की संपत्तियों पर असमान बोझ पड़ेगा। लेकिन यदि समान रूप से स्थित संपत्ति का एक ही वर्ग कराधान की

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

घटना के अधीन है, जिसके परिणामस्वरूप असमानता होती है, तो समान प्रकार के धारकों के बीच असमानता पैदा करने के कारण कानून को रद्द किया जा सकता है।

संपत्ति का. इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि एक कर क़ानून इस आधार पर हमले से पूरी तरह से प्रतिरक्षा नहीं है कि यह अनुच्छेद 14 में समानता खंड का उल्लंघन करता है, हालांकि न्यायालयों को कर क़ानून में अंतर्निहित नीति से कोई सरोकार नहीं है या क्या कोई विशेष कर ऐसा नहीं कर सकता है। अलग-अलग तरीके से या 'न्यायालय' में लगाए गए हैं

रास्ता

अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत सोच सकते हैं।

ये टिप्पणियाँ याचिकाकर्ताओं की मदद करने के बजाय प्रतिवादियों के मामले का मजबूती से समर्थन करती हैं। एक परिवार और एक परिवार के बीच कोई असमानता या प्रावधान नहीं था

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

अनुकूलन एक परिवार के सभी सदस्यों की भूमि, जैसा कि \ct में परिभाषित किया गया था, एकत्रित की जानी थी और एकत्रित जोत पर कर लगाया जाना था। एक परिवार के सभी सदस्यों की कुल जोत और एक व्यक्ति के पास मौजूद कुल भूमि के बीच कोई तुलना नहीं है। दोनों एक अलग स्तर पर खड़े हैं और कराधान के प्रयोजनों के लिए दो अलग-अलग वर्ग हैं। विधानमंडल द्वारा किया गया वर्गीकरण अनुचित नहीं कहा जा सकता। मेरी राय में, विधानमंडल कर योग्य इकाइयों, ■ कर लगाने की घटनाओं और कर की दर को निर्धारित करने के लिए खुला है और यदि वे स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और सुनिश्चित करने योग्य हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

द अमलगमेटेड टी एस्टेट्स कंपनी लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे: -

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

अनुच्छेद 14 से हरी झंडी पाने के लिए, विवादित कानून को वर्गीकरण परीक्षण को पूरा करना चाहिए। इस परीक्षण के अनुसार (1) वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए और (2) अंतर का कानून के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

हालाँकि, वर्गीकरण परीक्षण अनम्य और सिद्धांतवादी नहीं है। वर्गीकरण करने की विधायिका की शक्ति व्यापक और लचीलेपन की है ताकि वह अपनी कराधान प्रणाली को सभी उचित और उचित तरीकों से समायोजित कर सके। यह सरकार की जटिल आवश्यकताओं और जटिल समस्याओं को उचित सम्मान देता है। इस प्रकार, चूंकि राजस्व राज्य की पहली आवश्यकता है और चूंकि कर विभिन्न उद्देश्यों के लिए और विविध तत्वों के समायोजन द्वारा उठाए जाते हैं, इसलिए न्यायालय राज्य को अन्य क्षेत्रों की तुलना में कराधान के क्षेत्र में वर्गीकरण का अधिक विकल्प प्रदान करता है।

अनुच्छेद 14 के आधार पर किसी क़ानून को चुनौती देने पर, न्यायालय आम तौर पर इसकी संवैधानिकता के पक्ष में एक अनुमान लगाएगा। नतीजतन, जो क़ानून को चुनौती देता है, उसे यह स्थापित करने का भार उठाना पड़ता है कि क़ानून स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

किसी क़ानून को संवैधानिक मानने का कारण यह है कि विधायिका स्थानीय का सबसे अच्छा न्यायाधीश है

विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की स्थिति, परिस्थितियाँ और विशेष आवश्यकताएँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

केवल विधानमंडल ही स्थानीय स्थितियों और परिस्थितियों को जानते हैं। जिसने इस तरह के कानून को लागू करने की मांग की, और यह याद रखना चाहिए कि "विधानसभाएं काफी हद तक अदालतों की तरह ही लोगों की स्वतंत्रता और कल्याण की अंतिम संरक्षक हैं।"

उस मामले में यह तर्क उठाया गया था कि कराधान के प्रयोजनों के लिए केरल कृषि आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1970 के तहत घरेलू और विदेशी कंपनी में कंपनियों का वर्गीकरण किसी भी समझदार अंतर पर आधारित नहीं था; और अंतर, यदि कोई हो, का कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था | जिस उद्देश्य को कर निर्धारण क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना था। इस विवाद को निरस्त कर दिया गया।

मैसर्स में. मूर्ति मैच वर्क्स और अन्य बनाम द अस्टज़। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, और एक अन्य (3), सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने उन विभिन्न कारकों की गणना की, जिन पर राज्य को कर लगाते समय विचार करना पड़ता है और निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए हैं: -

भारतीय न्यायालयों द्वारा बरकरार रखे गए समान सुरक्षा खंड का एक पहलू यह है कि जहां समान चीजों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, वहीं असमान चीजों के साथ भी समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। समानता का मुखौटा बनाए रखते हुए शत्रुतापूर्ण भेदभाव हो सकता है।

एक और प्रस्ताव जो समान रूप से तय है वह यह है कि केवल इसलिए कि वर्गीकरण के लिए जगह है, इसका मतलब यह नहीं है कि वर्गीकरण के बिना कानून हमेशा संवैधानिक होता है। न्यायालय किसी कानून को रद्द नहीं कर सकता क्योंकि उसने उस वर्गीकरण को उचित नहीं बनाया है जो न्यायालय के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

लिए उपयुक्त हो। न ही यह कहा जा सकता है कि विधायी शक्ति का प्रयोग असंवैधानिक रूप से किया गया है क्योंकि वर्ग के भीतर एक उप-वर्गीकरण उचित था लेकिन नहीं किया गया है।

यह सच है कि राज्य कानून बनाने के उद्देश्य से व्यक्तियों और वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है और राजस्व या अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून पारित कर सकता है। हर भेदभाव है

भेदभाव नहीं. लेकिन चिश्लिकेशन को तभी अमल में लाया जा सकता है जब यह अप्रासंगिक और कृत्रिम मतभेदों से अलग प्रासंगिक और वास्तविक मतभेदों पर आधारित हो। संवैधानिक मानक जिसके द्वारा वर्गीकरण के लिए वैध बुराइयों का निर्माण करने वाले मतभेदों की स्थिति को मापा जा सकता है, न्यायालयों द्वारा बार-बार कहा गया है। यदि यह किसी ऐसे अंतर पर आधारित है जो उस उद्देश्य के लिए उचित और उचित संबंध सुनता है जिसके लिए इसे प्रस्तावित किया गया है, तो यह संवैधानिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो साधन का साध्य से संबंध होना चाहिए। फिर भी, उचित आधार पर वर्गीकरण के लिए राज्य को एक बड़े अक्षांश की अनुमति दी जाती है। जो उचित है वह व्यावहारिक विवरण और विभिन्न कारकों का प्रश्न है जिसकी जांच करने के लिए न्यायालय अनिच्छुक होगा और शायद उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होंगे। इस अपूर्ण दुनिया में समूहीकरण में भी पूर्णता एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जिसे शायद ही कभी पूरा किया जा सके। मैं

इस संदर्भ में, न्यायालयों को वर्गीकरण की वैधता के निर्धारण में सरकार के विधायी और न्यायिक विभागों के बीच संबंधों को याद रखना होगा। बेशक, अंतिम विश्लेषण में, अदालतों के पास अन्य शाखाओं के कृत्यों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति है कि क्या कोई वर्गीकरण पर्याप्त मतभेदों

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

पर आधारित है या मनमाना, काल्पनिक और परिणामस्वरूप अवैध है। साथ ही, वर्गीकरण का प्रश्न मुख्य रूप से विधायी निर्णय के लिए है और आमतौर पर यह न्यायिक प्रश्न नहीं बनता है। न्यायालय विधायी और कार्यकारी शाखाओं को वर्गीकरण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। किसी कानून की असंवैधानिकता और नासमझी न्यायिक समीक्षा का संकीर्ण क्षेत्र है। न्यायिक निरीक्षण टॉवर से न्यायालय केवल मनमाना और तर्कहीन वर्गीकरण और उसके विपरीत, अर्थात् उपचार की मनमौजी एकरूपता की खोज कर सकता है जहां वास्तविकता में एक रोती हुई असमानता मौजूद है। वर्गीकृत करने की शक्ति अत्यंत व्यापक होने और कार्यकारी पूर्वाग्रह के विविध विचारों पर आधारित होने के कारण, न्यायपालिका वहां जल्दबाजी नहीं कर सकती जहां विधायिका भी सावधानी से व्यवहार करती है। जहां विषय कराधान का है, वहां न्यायिक शक्ति पर इन सभी परिचालन प्रतिबंधों को अधिक सशक्त रूप से लागू किया जाना चाहिए।

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आधुनिक राज्य को कराधान की अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते समय जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है

जिन वस्तुओं की देखभाल की जानी है, उनसे संबंधित कारकों की मात्रा, वे शर्तें जिनके अधीन कर लगाया जाना है, 'सामाजिक और आर्थिक नीतियां जिन्हें कर का भुगतान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और क्या नहीं।

उस आसानी से, मिलान निर्माता युग के वर्गीकरण का काका, पावर उपयोगकर्ता और मैनुअल निर्माताओं और यह वह है जो 1, इस आधार को असत्य के रूप में इस आधार को त्यागने के लिए और कानून को

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

लाने के लिए राज्य की दायित्व के संबंध में संवेदनशील होने के लिए। मेहइडिंग वें, कर कानून लाइट के साथ स्पंदन के रिश्तों में, देश की अर्थव्यवस्था के आईआरटी सहित। अधिसूचना और चैलेंज को हड़ताल करने के लिए अदालत की घातक शक्ति प्राप्त करने के लिए इतनी अच्छी तरह से अन्याय नहीं लग रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि इसकी पुलिस की शक्ति के मुकाबले कराधान की शक्ति के तहत वर्गीकरण के मामले में राज्य में एक व्यापक विवेक की अनुमति दी जाती है। इस व्यापक विवेक का एक कारण, निस्संदेह, विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा राजस्व की जरूरी आवश्यकता है। एक राज्य को कुछ करने के लिए सब कुछ कर नहीं करना पड़ता है यह जिलों, वस्तुओं, व्यक्तियों, विधियों और कराधान के लिए भी दरों को चुनने और चुनने की अनुमति है, अगर यह बहुत ही उचित है के सीपी। भंडारी, कुछ याचिकाओं के लिए सीखा सलाह, आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रभुशिप के फैसले पर और बहुत ही इस पर भरोसा किया गया है। नलगा राजा रेड्डी और अन्य,

(4) जिसमें आंध्र प्रदेश भूमि राजस्व (अतिरिक्त आकलन) और 1 9 62 के वर्ग) और 1 9 62) के तहत आंध्र प्रदेश भूमि राजस्व (अतिरिक्त मूल्यांकन) और सेस संशोधन (संशोधन) अधिनियम (संशोधन) अधिनियम (संशोधन) के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में नीचे मारा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के लिए एक कर्कश क्यूट को मारा जा सकता है, लेकिन यह आफरा आधे से अधिक अधिनियम, प्रत्येक योजना या रोटोटरी निपटान में प्रत्येक अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में तय किया जाना चाहिए, या किसी भी उपाय के बिना डब्ल्यूएलएल को समझाया जा सकता है (या पूछताछ डी "। गधे के मामले में अवास्तवट टाउन चरणों में से किसी भी। आउटर, कीव की दर, चरण या वर्गीकरण के रूप में भी। एमएचएचएच की गणना के लिए नहीं। '।,। अधिनियम के अधीन नहीं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

होने के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन अधिनियम के तहत प्रदान की आकस्मिक राशि का आयोजन किया गया था उपयुक्त अधिसूचनाओं को लक्षित है, जो कि लक्षित एफआईटीए के IE के साथ अनुचित भेदभाव को बनाने के लिए सक्षम हैं। उन तथ्यों पर, अधिनियम आयोजित किया गया था जिसमें मैं संविधान के आंशिक हूं। इस तथ्यों में अथल के अधिनियम के प्रावधानों के लिए इन टिप्पणियां लागू नहीं की जा सकतीं। आकलन प्राधिकरण निर्धारित किया गया है, अपील, संशोधन और समीक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और मनमानी शक्ति के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील ने तर्कसंगत रूप से तर्क दिया है कि अधिनियम के धारा 2 (डी) में 'परिवार' की परिभाषा, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, या संशोधित, एक कृत्रिम एक है जो राज्य में मौजूद किसी भी परिवार के अनुरूप नहीं है या कानून के लिए जाना जाता है। इस तरह के मामले में, भेदभाव एक परिवार के अलग-अलग सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि के एकत्रीकरण से परिणाम है जो व्यक्तिगत भूमिधारियों की तुलना में एक परिवार के सदस्य नहीं हैं। रिलायंस को कारम्बिल कुरिकोमन वी। राज्य केरल

(5) और ए। कृष्णस्वामी नायडू वी। राज्य की ^ ड्रा

(6) में सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रभुशिप के फैसले पर रखा गया है। उन मामलों से संबंधित मामलों से संबंधित फिक्सेशन के लिए अधिनियमित किया गया था और भूमि पर कणों को टैक्स करने के लिए और इसमें निरंतर टिप्पणियां नहीं हैं, जो करांसी क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। उन मामलों में, राज्य की कीमत से लेकर बाजार मूल्य के नीचे एक मूल्य पर अधिग्रहण किया जाना था और एस पर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

बीकन फिस्क एटो राइ में आयोजित किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे सामने हमले के तहत अधिनियम। श्री के पी भंडारी ने अपनी तर्क के समर्थन में कि एक परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले भूमि के एकत्रीकरण। बढ़े हुए राजस्व बढ़ाने का उद्देश्य, प्रति «ई के समान है, संविधान के अनुच्छेद 14 में 1 खंड और यह मारा जाने के लिए उत्तरदायी है, हमें अल्बर्ट ए। हिपर वी। कर आयोग या विस्कॉन्सिन और मसूथन काउंटी, विस्कॉन्सिन

(7) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में सराहना की है। यह एक आयोजित किया गया था," एक पति, लगातार उचित प्रक्रिया और समानता के साथ-साथ संरक्षित, रिव्यू के द्वारा दिखाए गए अनुसार, और उसकी वी / आईआईई की आय के साथ-साथ, उसकी आय उसकी अलग संपत्ति है, और उसकी कर की वजह से उपरोक्त उपरोक्त हो, इसकी राशि करों की राशि से अधिक हो गई है, जिसके कारण उनकी अलग-अलग आय के अलग-अलग मूल्यांकन किए गए थे। " यह निर्णय बालाजी वी में हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था। आयकर अधिकारी, विशेष जांच मंडल, अकोला और अन्य

(8) और प्रतिष्ठित था। आयकर अधिनियम, 1 9 22 के धारा 16 (3) की वैधता से संबंधित बालाजी के मामले, जो कि "मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में" (एक) एक ऐसी पत्नी या किसी भी व्यक्ति के एक छोटे बच्चे को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने के लिए ((i) उस पत्नी की सदस्यता से, जो उसके पति एक साथी है; (ii) उस फर्म में साझेदारी के लाभों के लिए मामूली प्रवेश से, इस तरह के व्यक्ति एक साथी है "। उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर सवाल किया गया था कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के तहत समानता के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

सिद्धांत का उल्लंघन किया और इसके समर्थन में मजबूत रिलायंस को अल्बर्टा के फैसले पर रखा गया था। उम्मीद है कि केस (7) (सुप्रा) उस मामले के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट हे रिपोर्ट में पैरा 10 में निमंत्रण है: - "वहां, अपीलकर्ता ने विधवा से शादी की। दोनों दलों में अलग आय थी और अलग-अलग रिटर्न बनाया गया था। प्रासंगिक कर अधिनियम के तहत कर की आय के लिए पति की आय में जोड़ा गया परिणाम को अपील के आने वाले टैक्स की दर में वृद्धि करना और उसकी पत्नी द्वारा देय किसी टैक्स के साथ चार्ज करना था। यह तर्क दिया गया था कि कानून ने 284 यू.एस. 206-221- (1 9 31) 76 कानून से वंचित किया।

एड। 248: a.t.r. 1 9 62 एससी। 123.

कानून की उचित प्रक्रिया और कानून के समान सुरक्षा का करदाता। रॉबर्ट्स, जे।, जिन्होंने बहुमत को व्यक्त किया, ने कानून को स्वीकार किया और कानून को मारा। सीखा न्यायाधीश पी में मनाया 251 इस प्रकार: "इसमें कोई संदेह नहीं है कि, हमारे सिस्टम को तैयार करने वाले मौलिक अवधारणाओं के कारण, किसी व्यक्ति की संपत्ति या किसी अन्य की आय के संदर्भ से आय को मापने के लिए किसी राज्य द्वारा किसी भी प्रयास से या किसी अन्य की आय के कारण LAV / की गारंटी के तहत आवश्यक है। जो वास्तव में नहीं है, कर-भुगतानकर्ता की आय को आय को बुलाया नहीं किया जा सकता। " उस मामले में अपील की अदालत ने प्रावधानों को बनाए रखने के लिए दो कारणों को सौंप दिया: एक था कि विवाहित व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी और चक्रों को रोकने के लिए हमले के तहत प्रावधान आवश्यक थे, और दूसरा यह था कि यह विवाह का एक विनियमन था। पहला कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर स्वीकार

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

नहीं किया गया था कि दावा की आवश्यकता 'अन्यथा असंवैधानिक असंभव नहीं ठहरा सकता है; और दूसरा कारण इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि यह शायद ही दावा किया जा सकता है कि सामाजिक संबंधों में एक मात्र अंतर है, जिससे कि कर के लिए एक अलग उपाय को औचित्य के रूप में प्राप्त करने वाली एक कर प्राप्त स्थिति को बदल दिया गया।

होम्स, जे।, अपने असंतोष न्याय में, इस जमीन पर अपना ध्यान न्याय करते हैं कि क़ानून हजारों वर्षों के इतिहास का अनुमान लगाया गया है कि पति और पत्नी एक और भी थे क्योंकि यह कर चोरी को रोकने की प्रवृत्ति थी। 'प्राइमा फेई' बहुमत दृश्य याचिकाकर्ता के लिए सीखा सलाह के विवाद का समर्थन करता है, लेकिन एक गहरी जांच उस निर्णय और वर्तमान मामले के बीच मौलिक अंतरों का पता चलता है। थोर, पति और पत्नी के बीच किसी भी साझेदारी का कोई सवाल नहीं था, और पत्नी की आय को पति के रूप में जोड़ा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें न केवल उनकी आय पर वृद्धि दर नहीं देना पड़ा लेकिन अपनी पत्नी द्वारा देय टैक्स का एक हिस्सा भी; वर्तमान मामले में, अशुद्ध प्रावधान किसी भी सामान्य दायित्व को लागू नहीं करते हैं, लेकिन यह केवल उस मामले में सीमित करता है जहां पति अपनी पत्नी को साझेदारी में ले जाता है। स्रोतों से प्राप्त पत्नियों की अलग आय के मामले में की तुलना में एक की पत्नी और मामूली बच्चों के साथ फर्जी साझेदारी का गठन करने से धोखाधड़ी के चोरी के लिए एक बड़ा क्षेत्रफल है। इसके अलावा, भारत में वर्तमान सामाजिक और भारत की महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सीपीजे जे के रूप में। अमेरिका में अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ, यहां तक कि यह 1 9 31 में अस्तित्व में है, यह इतना कम है कि भारत में उत्पन्न होने वाले समान मामले में अमेरिका में किए गए निर्णय को लागू करने के लिए यह अनुचित होगा। भारत में एक पत्नी, खासकर अगर वह निरक्षर रहती

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

हैं- £ "उनमें से अधिकांश लोग अनपढ़ हैं- आम तौर पर एलएन आर होगा। अपने पति के हाथों में एक उपकरण एक शादी के बारे में शादी कर रहे हैं, उसके नाम से उसके नाम से बिना किया जाता है। जब इस देश की विधायिका, लोगों की उनकी शर्तों को जानने के लिए आओ, और इस सह-जिले की स्थिति को जानने के लिए आओ। - करों के चोरी के मामले में धोखाधड़ी के मामले में फैला हुआ धोखाधड़ी के उपकरण में एक लाव / कहा, धोखाधड़ी को रोकने के लिए, किसी भी काउंटर-संतुलन परिस्थितियों को पकड़ने के लिए, यह है कि किसी भी लाव / अस्तित्व में नहीं है। इसके विपरीत", वहाँ, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ एक है ए। एम, अमर उम्मा वी में मद्रास उच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष निर्णय। आयकर अधिकारी कोझिकोड ऑफ रियर / नाबल वर्गीकरण के आधार पर प्रावधान प्रावधान को बनाए रखने के लिए। राजागोपालन, जे।, विभाजन बेंच के लिए बोलते हुए, पी पर विचार किए गए विषय पर प्रासंगिक निर्णय पर विचार करने के बाद। 150 (आईटीआर) में: (पी 1 में 1 ए / ए में; इस प्रकार; वर्गीकरण या अन्यथा वर्गीकरण का निर्णय लिया जाना चाहिए, इस मामले में प्रचलित सामाजिक और आर्थिक संरचना सहित मामले की सभी परिस्थितियों के लिए वी / आईटीएच संदर्भ है, टैक्सिंग क़ानून का कारण है कि कर्ज कसौटी के कारण एक कर्ज को रोकने के लिए है। इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया जा सकता है, हमारे विचार में, अनुचित कहा जाता है। 'अनुच्छेद में हम इस अनुबंध को अस्वीकार करते हैं, इसलिए इसे अपने या उसके मामूली बच्चों की आय पर खारिज करते हैं, यदि वह अपने तीसरे पक्ष के साथ साझेदारी में व्यापार पर निर्भर करता है, या अगर वह और अपने बच्चे के साथ-साथ व्यवसाय से अलग होता है, या तो इस भागीदारी के अपने हिस्से के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, इस प्रकार के उपखंड के उद्देश्य के लिए, पूर्व में से एक के नीचे एक श्रेणी में डाल दिया जाता है, बाद में

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

उत्तरार्द्ध के साथ होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दो समूहों के बीच कोई अंतर नहीं है; लेकिन क्या तर्क दिया गया है कि कहा गया है कि अलग-अलग प्रश्न के लिए इस बात का कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, जो प्रश्न में क़ानून द्वारा हासिल की जा रही है। यह पूछा गया कि कैसे कर, अधिनियम के अधिग्रहण से, एक व्यक्ति और उनकी पत्नी के बीच अंतर साझेदारी में व्यापार कर रहा है, और एक व्यक्तिगत और उनकी पत्नी के साथ व्यापार को अलग से, और एक व्यक्ति को अपनी पत्नी और एक व्यक्ति के साथ साझेदारी में व्यवसाय कर रहा है एक तीसरी पार्टी, पुरुष या महिला के साथ साझेदारी में व्यवसाय, और एक व्यक्ति के बीच जो अपने छोटे बच्चों को साझेदारी व्यवसाय में भर्ती कराया है और एक व्यक्ति जो अपने प्रमुख बच्चों या बाहरी लोगों के साथ साझेदारी में व्यवसाय कर रहा है, में उचित आधार होगा। यह तर्क कानून के उद्देश्य की उपेक्षा करता है हमने यह कहा है कि कानून के उद्देश्य कर के चोरी को रोकने के लिए था। उप-खंड में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ साझेदारी में प्रवेश करके व्यक्तियों द्वारा एक समान डिवाइस को आमतौर पर सहारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरे पक्ष के घटने का जोखिम शामिल होना होगा और अपने अधिकारों ने जोर दिया है। इसलिए विधायिका, वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए चयनित केवल उन लोगों के समूह जो वास्तव में कराधान पर धोखाधड़ी को खराब करने के लिए एक ललक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है .` सदस्यों की भूमि के इन टिप्पणियों के प्रकाश में - परिवार में शामिल एक परिवार, पत्नी और उनकी एक 1 सी एम एलडी रेन सी एन एन नरक या अनुचित होने के लिए नहीं आयोजित नहीं किया गया। यह सामान्य एल ज्ञान की बात है कि पत्नी और छोटे बच्चों की भूमि आमतौर पर पति या उनके पिता द्वारा प्रबंधित और खेती की जाती है और पंजाब और पेप्सू में भूमि पर छत के संबंध में आसन्न कानून को ध्यान में रखी, भूमि के मालिकों

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

ने कहा था कि वह अपनी पत्नियों और बच्चों के बारे में है। यह भी (राजस्व के सभी सदस्यों द्वारा आयोजित भूमि का एकत्रीकरण बड़ा राजस्व लोहा प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम का उद्देश्य, एच होल्डिंग प्राप्त किया जाएगा। यदि एक इंडिव.अब को एक बड़ा हो तो मैं भी हो सकता है, वह भी स्लैब सिस्टम के अनुसार उच्च कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए एक व्यक्ति जो एक परिवार के सदस्य नहीं है, जो एक परिवार के सदस्य हैं, जो कि विभिन्न हिस्सों के लिए उपलब्ध हैं, जो कि फीड्स के बीच में शामिल हैं। फीडबैंडर लैंडोनेटर में फिर से, यह पति को नहीं है, जो कि अपनी पत्नी और मामूली बच्चों के लिए देय कर के अनुसार उच्च कर का भुगतान करना है, लेकिन इस अधिनियम के अनुभाग में और केवल कर्ज भूमि राजस्व अधिनियम में 1888, जैसा कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के तहत: 3 (2) के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के तहत, जैसा कि 3 (2) 'जमीन के लिए है, क्योंकि 3 जी (भूमि) के एक अनुच्छेद शामिल नहीं है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसमें एक आयोजन में खेत में जमीन राजस्व का बेरान की एक वसूली के लिए या इस तरह के एक बरकरार के रूप में एक निश्चित वर्धमान है, और इस तरह के एक अन्य व्यक्ति के कारण यह खंड में उल्लिखित है, जो इस संपत्ति के कब्जे में है या किसी भी हिस्से या हिस्से में या किसी भी हिस्से के किसी भी हिस्से के आनंद में है "। और यह परिभाषा अनुभाग 2 (के) के आधार पर अधिनियम में इस्तेमाल किए जाने वाले 'जमींदार' पर लागू होती है। सरल भाषा में, ओसीसीयू-I के व्यक्ति एल में एन। 1 एम 1 एम ↑ ^ ^ एस्टेट के मुनाफे के किसी भी हिस्से की यंग भूमि लेजर है। वह भूमि के मालिक नहीं हो सकता है, उदाहरण के लिए, कब्जे के साथ बंधक या एक व्यक्ति जिसके लिए भूमि को राजस्व में सुधार किया गया है, जो कि किसी भी अन्य क्षमता में भूमि राजस्व की वसूली

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

के लिए काम कर रहा है, किरायेदार या भूमि राजस्व के एक असाइन को छोड़कर। एक परिवार के सभी सदस्यों को पकड़ने वाले भूमि का एकत्र केवल उस विशेष भूमि पर कर की गणना करने के उद्देश्य के लिए होगा और न ही एक व्यक्ति से इसे चार्ज करने के लिए नहीं जब तक कि वह एकमात्र जमीन नहीं हो। कर का बोझ भूमि धारण के मालिक पर नहीं गिरता है जब तक कि वह भी एक जमीनदार भी नहीं है। यही है, पूरे होल्डिंग के कब्जे में T टी विंग टैक्स के प्रयोजनों के लिए भूमि के एकत्रीकरण के मेलर ने सर्वोच्च न्यायालय के 'रजा जगनाथ बाक सिंह वी के उत्तर देने वाले और राज्य के उत्तर प्रदेश के एक अन्य आईए (जे) के थे। और यह मान्य होने के लिए आयोजित किया गया था। उस मामले में, यू.पी. के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता बड़ी होल्डिंग्स टैक्स एक्ट (31 1 9 57) निर्धारित किया जा रहा था। उस अधिनियम की धारा 4 को परिभाषित किया गया "भूमि धारणा को हर साल जुलाई के पहले दिन के पहले दिन के पहले दिन के पहले देश में रखा गया है या नहीं, चाहे वह अपने नाम में या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर, और ऐसी सभी भूमि इस तरह के भूमिधारक के भूमि आयोजन का हिस्सा बनने के लिए समझा गया था। भूमिगत आयकर पर कर वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर एक स्लैब सिस्टम पर देय था। यदि कोई वार्षिक मूल्यांकन रु। 3,600 लेकिन अगर यह उस सीमा से अधिक हो, तो दर को 5 एनपी के साथ एक वर्गीकृत पैमाने पर निर्धारित किया गया था। एक रुपया में जब वार्षिक मूल्यांकन रु। 3.600 रुपये से 5,000 और एक नाटक में 60 नाये पैसे के साथ समाप्त होने पर वार्षिक मूल्यांकन में रु। 30,000। रिपोर्ट के पैरा 16 में, इसे निम्नानुसार देखा गया था: - "एक टैक्सिंग क़ानून को अनुच्छेद 14 में कनवर्ट करने के लिए आयोजित किया जा सकता है यदि यह संपत्ति के समान वर्ग पर लागू करने के लिए अपराध करता है, इसी तरह कराधान की एक घटना है जो स्पष्ट असमानता की

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

ओर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विधायिका के लिए है कि किस वस्तुओं को कर की दर से ले जाने के लिए और यह न्यायालयों के लिए यह नहीं है कि कुछ ईथर ऑब्जेक्ट को लगाया जाना चाहिए या चाहे एक अलग दर को कर के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए था या नहीं। यह भी सच है कि विधायिका व्यक्तियों या गुणों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने और उन्हें अलग तरीके से कराने के लिए सक्षम है, और यदि वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, तो टैक्सिंग क़ानून को केवल चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कराधान की अलग दर निर्धारित की जाती है। लेकिन, यदि इसके संचालन में, कोई करांसी कंट्रीट 14 के अनुरूप होने के लिए पाया जाता है, तो न्यायालय को नारियल से इनकार करने के लिए न्यायालय के लिए खुला होगा BV ■ अनुच्छेद 14. उपरोक्त चर्चाओं के मुताबिक, याचिकाओं के लिए शिक्षार्थियों के वकील की प्रस्तुतियाँ में कोई योग्यता नहीं है कि अधिनियम के तहत करों के लिए लेवी के लिए सभी परिवारों के सभी सदस्यों की भूमि हिस्सेदारी को सकाने के लिए प्रावधान संवैधानिक रूप से अमान्य है। एल एलआर पंजाब और हरियाणा में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या कार्य का संशोधन किया गया है, अब के रूप में, जे के एकत्रीकरण के लिए प्रदान करता है? एक परिवार के सभी सदस्यों की भूमि होल्डिंग यह उस खंडन 3 में यह होना चाहिए कि प्रावधान को एक परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व वाले भूमि के एकत्रीकरण के लिए बनाया गया था जिस पर भूमि का निर्धारण करने के शुद्ध होकर, जिस पर कर लगाया गया था * यह तब छोड़ दिया गया था जब संशोधन अध्यादेश द्वारा किया गया था - 1 9 74 के, जो कि लगातार निष्कर्ष पर ले जाता है कि परित्याग जानबूझकर था। संशोधित अधिनियम के तहत, भूमि धारणा का अर्थ है किसी विशेष संपत्ति में किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाले सभी भूमि के एजीजी-ईगेट। इसके

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

परिवार के सदस्यों के सदस्य के पास कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, जैसा कि मूल खंड में मामला 3. वित्तपोषण के बाद से, सीखने की बात है कि यदि विधायिका का इरादा स्पष्ट है, तो व्याख्या को उस इरादे के अनुरूप बनाया जाना चाहिए और यदि भाषा स्पष्ट नहीं है, तो शब्द को अदालत ने बताया है कि व्याख्या के माध्यम से उस इरादे को प्रभावी होने के लिए शब्द दिए गए हैं। यह बल दिया जाता है कि विधायिका का इरादा, कानून के उद्देश्य और मुख्य प्रावधानों के पदार्थ को न केवल ड्राफ्टमैन द्वारा उपयोग किए गए दोषपूर्ण भाषा के कारण पहले से नहीं किया जाना चाहिए। रिलायंस विभिन्न निर्णय में वर्णित विधियों की व्याख्या के नियमों पर रखा गया है। तिथथ सिंह वी। बाचितर सिंह और अन्य (11) में, यह 'रिपोर्ट के पैरा 7 में मनाया गया था- यह व्याख्या का एक नियम है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है,' जहां एक संविधान की भाषा, अपने साधारण अर्थ और व्याकरणिका निर्माण में एक अधिनियमित, प्रायोजित या अशुद्धता, कठिनाइयों या अन्याय के लिए, एक असुविधा के लिए प्रकटीकरण, या कठिनाई का उद्देश्य, इसके निर्माण को एक ही डाल दिया जा सकता है, जो शब्दों के अर्थ को संशोधित करता है, और यहां तक कि वाक्य की संरचना भी। " असम राज्य और एक और वी। संगमर साइकिया और (12) में, यह बताया गया था कि लेख 233 article लेख पढ़ना, उच्च न्यायालय द्वारा संचर, लेख के व्याकरण की क्रिया के विपरीत था। सीखा मुख्य न्याय उचित रूप से ई (11)

1 ए.आई.आर. 1955 एससी 830.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(12) ए.आर.आर. 1 9 70 एससी 1616 पर आचरण के लिए इसे व्याख्या करने के लिए। एक ही तर्क पर यह सीखा अधिवक्ता-जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि हमें कार्रवाई 3 का विस्तार करना चाहिए ताकि शब्दों को 'पति, पत्नी और उनके मामूली बच्चों या उनके किसी भी दो या किसी अन्य व्यक्ति को "अनुभाग में परिवार के स्थान पर बदल दिया जा सके, तो ऐसा करना चाहते हैं कि 1 की तरह समझना चाहिए कि परिवार की अवधारणा एक भूमि अधिग्रहण के रूप में परिवार की अवधारणा के रूप में ज्ञात थी, जैसा कि भूमि के होल्डिंग्स अधिनियम, 1 9 72 पर हरियाणा छत में इस्तेमाल किया गया था। इस अधिनियम के तहत, प्राथमिक भूमि-होल्डिंग यूनिट को एक परिवार के रूप में निर्धारित किया गया था और केवल उन व्यक्तियों के पास, जिनके पास परिवार नहीं हैं या जिन्यरिक व्यक्तियों जैसे परिवारों को

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

असमर्थ थे, को भूमि के अलग-अलग धारकों के रूप में माना जाता था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य, इस अधिनियम में परिभाषित, कानून अधिनियम के प्रावधान के पहले अज्ञात था या इसके अधिनियमन से पहले। परिवार की लगभग एक ही परिभाषा दोनों अधिनियमों में अपनाई गई थी, जो वास्तव में एक ही विषय-वस्तु पर एक श्रृंखला की एक श्रृंखला का गठन किया गया था। भूमि होल्डिंग्स एक्ट पर हरियाणा की छत के तहत, प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की पकड़ को परिभाषित किया गया था, जबकि अधिनियम कर के तहत उस भूमि धारण पर लगाया गया था। यह सच है कि एक विशेष क़ानून में प्रावधानों का निर्माण करते समय, एक अन्य क़ानून के संदर्भ में अनुमत नहीं है, लेकिन यह स्वीकार्य है जहां एक ही विषय से संबंधित विधियों की एक श्रृंखला शामिल है। यह कनाडा चीनी शोधन कंपनी वी। आर।

(13) में आयोजित किया गया था - "- एक क़ानून के प्रत्येक खंड को संदर्भ के संदर्भ और अधिनियम के अन्य खंड के संदर्भ में किया जाना चाहिए, ताकि अब तक संभव हो सके, विषय के संबंध में संसदीय संसद या संसारों की श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए। इस मार्गदर्शक सिद्धांत को एम। पेंटीह और अन्य वी मुदला वीरमालप्पा और अन्य

(14) में सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रभुशिप द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, मैं भूमि में होल्याण्ड की दुकान में अपनी परिभाषा के संदर्भ में अधिनियम में 'परिवार' का उपयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल यह बता रहा हूं कि इस तरह के परिवार के साथ कार्य करना कानून के लिए जाना जाता था और उन्हें उधार विधायिका द्वारा पहले अधिनियम में भूमि पकड़ने का निर्माण किया गया था। परिवार के रूप

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

में इस तरह के रूप में और नहीं था। "विभाजन के सदस्यों का गठन करना यह कार्डिनल सिद्धांत और राजकोषीय विधियों की व्याख्या है जो मैं उस व्यक्ति की मांग के रूप में लाने के लिए, लव / पत्र के भीतर बन जाता है, हालांकि वह कर लगाया जाना चाहिए, हालांकि कठिनाई न्यायिक मन में दिखाई दे सकती है। आरजी ^, हाथ पर, यदि कर पुनर्प्राप्त करने के लिए सहारा ब्यूटी लैव / पत्र के पत्र के भीतर ऑब्जेक्ट नहीं ला सकता है, तो यह विषय है, लेकिन पेरिस / कीव / आत्मा के रूप में पेरिस / आईटीआईएनआईएन अन्यथा हो सकता है यह चेतिनादाद लिमिटेड के बैंक के प्राइवी परिषद के अपने प्रभुशिप द्वारा आयोजित किया गया है। आयकर / मद्रास (15), आयोजन / इंडस्ट्री राजस्व में राजा के बेंच डिवीजन के फैसले पर भरोसा करते हुए आयकर, मदरस

(15) के आयुक्त। आयुक्त वी। वेस्टमिंस्टर के ड्यूक

(16) व्याख्यान के टीएनआईएस सिद्धांत वी / जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रभारीशिप द्वारा / मैं ।वी। फर्नांडीज वी। केरल राज्य (17), रिपोर्ट के 2 के पैरा में: - "इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजकोषीय विधियों को बनाने में और कर के लिए एक विषय की देयता का निर्धारण करने के लिए कानून के सख्त पत्र और न केवल कानून के नियम या कानून / पदार्थ के पदार्थ के लिए नहीं होगा। यदि राजस्व अदालत को संतुष्ट करता है कि मामला लव / / के लावी / आईटीआईएनआईएन को लहर करता है, तो इस विषय को चालू किया जा सकता है, अगर दूसरी तरफ, मामले को कवर नहीं किया गया है / टैक्सिंग क़ानून के प्रावधानों के चार कोनों को कवर किया जाता है, कोई कर लागू नहीं किया जा सकता है या सदाचार द्वारा या विधायिका के इरादों की जांच करने और इस बात पर विचार करके इस मामले पर पदार्थ क्या था।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

इसलिए हमें आवश्यक होना चाहिए, अधिनियम के वास्तविक प्रावधानों के संबंध में और इसके विरुद्ध किए गए नियमों को इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि अपील को बिक्री कर अधिकारियों द्वारा तर्कित रूप से मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी था। " इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखा अधिवक्ता-जनरल द्वारा शुरू की व्याख्या का नियम लागू नहीं किया जा सकता है जब टैक्सिंग क़ानून के प्रावधानों का व्याख्या किया जाता है। एक और अच्छी तरह से स्थापित नियम यह है कि यदि टैक्सिंग क़ानून की दो व्याख्या संभव है, तो एक (15) एटी.आर., 1 9 40 पीसी 181 1 9 30 ए.सी. 1/1 (17 एआई आर 1 9 57 एससी। 657 इस विषय के पक्ष में एक को पसंद किया जाना चाहिए "; राज्य कानून और मसौदा का मसौदा है आयकर के आयुक्त, पंजाब वी। कुलु घाटी TWWWRT सी डिग्री - (पी) लिमिटेड (18), उस पर-जो 'एक ही शब्द को एक्शन के रूप में किया जाता है, इस विषय पर, के रूप में किया गया है, इस विषय पर, के रूप में किया गया है के रूप में किया गया है, एक शब्द का एक प्रदाताओं के लिए किया जा सकता है के रूप में किया गया है, इस विषय पर विचार किया गया है एक महत्वपूर्ण है, जिससे कि एक शब्द का एक आदर्श वाक्य में की सहायता कर रहे हैं, जिससे कि एक शब्द के लिए एक साथ की एक सूची में मदद मिलेगी, इस विषय में, वेतन में कोई भी वायदा की एक सहायक उपकरण में सहायता मिलेगी, इस विषय पर, जो एक बहुत ही स्पष्ट है, इस विषय पर विचार कर रहे हैं एक शब्द का एक आदर्श तरीका में किया जाएगा की एक सूची में मदद मिलेगी, इस विषय पर, जो एक साथ विचार करने के लिए सक्षम किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस विषय पर, जो। अब, मैं इस अनुभाग को सीखा अधिवक्ता जनरल द्वारा किए गए प्रस्तुत करने के अनुसार विस्तारित करता हूं। विस्तारित अनुभाग क्वाया एक परिवार के रूप में पढ़ा जाएगा: - "'भूमि धारण' का अर्थ सभी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

भूमि का कुल, एक विशेष संपत्ति में, पति, पत्नी और उनके मामूली बच्चों के मालिक या उनके दो या अधिक यातायात है।" मेरे विचार में, "पति, पत्नी और उनके मामूली बच्चों के स्वामित्व वाले सभी भूमि" का अर्थ होगा सभी भूमि स्वामित्व वाले सभी बधाई के रूप में एक क्लासिक रूप से एक * इकाई के रूप में और उनमें से प्रत्येक द्वारा अलग से अलग नहीं। इस अर्थ इस परिभाषा के उत्तरार्द्ध से समर्थन प्राप्त करता है, यही है। भूमि उनके दो या अधिक के स्वामित्व में है इस वाक्यांश का मतलब जरूरी है कि परिवार के दो या अधिक सदस्यों द्वारा आयोजित संयुक्त भूमि और अलग-अलग भूमि या उन दो या अधिक सदस्यों में से किसी एक के स्वामित्व में नहीं होगा। इस अनुभाग की भाषा स्पष्ट रूप से विस्तारित होती है कि इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि उसमें भूमिगत आयोजन का मतलब है कि सभी देश को एक यूनिट के रूप में परिवार की स्वामित्व में शामिल किया गया है और परिवार के अलग-अलग सदस्यों के स्वामित्व वाले सभी भूमि का कुल अलग-अलग है। संदर्भ सीएडी 6 और 7 के प्रावधानों के लिए सीखा वकालत जनरल द्वारा किया गया है जो प्रदान करता है, यह बताता है कि कुल्हाड़ी जमीन के द्वारा भुगतान किया जाएगा। यह आग्रह किया गया है कि एक्शन 7

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

('8) ए.ए.आर. पर देय कर के संबंध में एक सूची (एक)। 1 9 70 एस सी। 1734. एलएलआर पंजाब और हरियाणा

को तैयार किया जाना चाहिए जिसमें सभी थॉमस के नाम शामिल हैं। एन। एक परिवार के मामले में और परिवार, सदस्य के सदस्य (द एज) (क) (ई) और (यू) में उल्लेख किया गया है, (जे) ने कहा है। 1 से पहले ही यह बताया गया है कि कर जमीन के मालिक से नहीं ले जाया जा सकता है और देश के मालिक द्वारा नहीं। अगर वह मिल पिल है और इस तरह के उत्पादन में से एक का आनंद ले सकते हैं, लेकिन यह एक अच्छा परिवार के इस मामले में, के सभी कारणों के लिए, व्यक्तिगत रूप से इस परिवार के मामले में कर सकते हैं। एक निजी जेट के लिए, एक महत्वपूर्ण बात हो सकता है, इस बात की है। के लिए, एक अन्य प्रश्नों के लिए, एक ही फर्क नहीं पड़ता है, एक और अधिक बातों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। एक से अधिक महिलाओं के लिए, एक ही बात का ध्यान आकर्षित करता है, एक बार, लेकिन एक ही बात हो सकता है, एक और परेशान है। एक बार, लेकिन एक ही बात हो सकता है, इस बात की है। के लिए, एक अन्य प्रश्नों के लिए, एक ही बात का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, एक और अधिक बातों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात का है। इस बात के लिए, एक साथ फर्क के मुताबिक, एक अन्य प्रश्नों के लिए, एक साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यह है कि एक परिवार के इस मामले में, एक ही फर्क नहीं पड़ता है, एक अन्य प्रश्नों के लिए यह है कि एक परिवार के इस मामले में, और एक ही व्यक्ति के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

लिए यह किया जा रहा है के लिए, वे अपने स्थान के सभी प्रकार के लोगों के लिए, व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय के एक निजी विमान के लिए एक निजी विमान के लिए एक निजी विमान के लिए कहा, सभी, मन की हस्तियाँ के लिए, वेतन और वे अपने जीवन के किसी भी मामले में, इस बात का आनंद ले सकते हैं, इस बात की वजह से, वे सभी परिवार की भूमि के लिए, व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय के एक निजी विमान के लिए अपने जीवन के सभी प्रकार के लोगों के लिए, व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय के एक निश्चित स्थान पर, के लिए, एक निजी जेट के लिए, एक निजी जेट के लिए, एक निजी जेट के लिए, एक निजी जेट लिया जा सकता है। इस साइट के सभी प्रकार के लोगों के लिए, व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय के मामले में, और यह नहीं है कि वे अपने जीवन के सभी हिस्सों में, के लिए, वेतन और वे अपने जीवन के सभी प्रकार के लोगों के लिए, व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय के एक निश्चित स्थान पर, के लिए, वे सभी जगहों की एक घटना के लिए, व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय के एक निजी विमान के लिए यह सामान्य ज्ञान की बात है कि गांवों में किरी विवाह का रूप प्रचलित है और बड़ी संख्या में मामलों में विधवा भाई से विवाह हो जाती है या उसके मृत पति के करीबी संबंध हो। यदि परिभाषा खंड में वाक्यांश "उनके मामूली बच्चे " एक पति के एक छोटे से बच्चों को एक पूर्ववर्ती पत्नी से शामिल करने के लिए आयोजित किया जाता है, तो उसके पूर्व पति से पत्नी के मामूली बच्चे को भी शामिल किया जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि वे अपनी मां के साथ अपने माता-पिता के साथ नहीं आए हैं और अपने पिता के परिवार में अपने भव्य माता-पिता द्वारा बनाए रखा हो सकता है। नागरिक मामलों के बच्चे के पति या पत्नी के कारण, कोई भी प्रावधान भी नहीं किया गया है, या नहीं, चाहे वे अपने पुत्री पिता या मां के परिवार में शामिल नहीं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

होंगे या नहीं, जैसा कि मामला हो सकता है। इन सभी कारणों के लिए, मुझे अन्तर्निहित किया गया है कि इस अवधि के लिए धारा 3 के तहत एक परिवार के स्वामित्व वाली भूमि आयोजन, जैसा कि संशोधन किया गया था, इसका मतलब है कि परिवार के एक यूनिट के रूप में एक देश इकाइयों के पास और उस परिवार के अलग-अलग सदस्यों द्वारा नहीं। श्री ए। नेहरा, कुछ वें * याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा सलाहकार भी तर्कद्वत हैं कि टी सी अधिनियम के 55 (2) के लिए प्रावधान मनमाना है और किसी भी दिशानिर्देशों को लिख नहीं सकता है और इसलिए, ध्यान से शुरू होने के कारण, 'यू यू ट्यूशन के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में। यह प्रावधान केवल राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा समय-समय पर 25 प्रतिशत तक कम करने के लिए सक्षम बनाता है और भूमि के मालिकों के पक्ष में है और राज्य सरकार नहीं है। इस शक्ति के मनमाना उपयोग का एक सवाल है, जब तक कि सूचना बनाने में कमी को भेदभाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यदि चुनौती सफल हो जाती है, तो सूचना अधिसूचना को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रावधान को हड़ताल करने के लिए कोई जमीन नहीं है। यह सबमिशन को पुनः प्राप्त किया गया था। उत्तराधिकारी और भारत (एटीए (10) (सुप्रा) में स्जाए जापान के सर्वोच्च न्यायालय और उनके एक और (10) (सुपा) के सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रभुशिप के फैसले को ध्यान में रखते हुए एक वर्गीकृत पैमाने पर उच्च कर लगाने के लिए स्लैब सिस्टम को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सावधानीपूर्वक अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करते समय मुझे लगता है कि हालांकि अधिनियम के अनुसूची द्वितीय के अनुसार लेन्डी पर लेन के प्रभारी और आरोप के लिए अधिनियम के खंड 5 में प्रावधान किया गया है। कोई प्रचार नहीं किया गया है कि इस तरह के एक किस तरह के विभिन्न भूमिधारकों के बीच में शामिल किया

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

जाएगा। शेड्यूल एच के अनुसार, भूमि के प्रत्येक वर्ग पर कर क्या है। पहले निर्धारित किया जाना चाहिए और निर्धारित राशि इतनी निर्धारित है; प्रत्येक को किसी भी आधार पर या किसी अन्य आधार पर क्षेत्र के अनुसार भूमि के मालिकों के बीच वितरित किया जाना है। एक उदाहरण के रूप में, 7 हेक्टेयर वर्ग के एक मालिक का मामला, मैं अनुसूची में निर्दिष्ट वर्ग में ले जाया जा सकता है। उस होल्डिंग टैक्स पर पहले एक हेक्टेयर के लिए सत्तर पैसे के लिए सत्तर पैसे के आधार पर लगाया जाना चाहिए: अगले चार हेक्टेयर के लिए एक 0.05 हेक्टेयर और शेष भूमि के लिए एक 0 रुपये और पांच-पांच पैसे के लिए एक रुपया और तीस-पांच पैसे। 7 हेक्टेयर के आयोजन पर कुल कर राशि रुपये होगी। 148. मामले में इन 7 हेक्टेयर भूमि अलग-अलग या असमान क्षेत्र वाले विभिन्न व्यक्तियों के कब्जे में हैं, उनमें से प्रत्येक को सकल सकलता की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 148 अनुपात के अनुसार h एचएच इस क्षेत्र में क्षेत्र या उस आधार पर अपने व्यवसाय में भूमि के क्षेत्र के क्षेत्र में कर का भुगतान करना होगा • अधिनियम में अनुसूचित जात में उल्लेख किया गया है? यह एक बात है ^ एमसीएच को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि जमीनदार और अधिकारियों के टी विभाग विभाग को लैंडोर्स से कर के लेवी के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कर सकें। अधिनियम के अधीन या किसी भी कार्य के तहत किसी भी प्रावधान के किसी भी प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई है और न ही कोई भी पोषित किया गया है। उपरोक्त कारणों के लिए, यदि राज्य का आयोजन किया जाता है - • प्रख्यात उद्देश्य के लिए परिवार के अलग-अलग सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि को एकीकृत करने के लिए प्रावधान कर सकता है, जिससे मैं उस पद पर पकड़ कर रहा हूं जिस पर कर लगाया जाता है लेकिन कला के धारा 3 अब के रूप में, उस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

एकत्रीकरण के लिए प्रदान नहीं करता है चूंकि इस अधिनियम में अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए पुराने या कार्यवाही के शूटिंग के लिए कोई आदेश पारित किया जा सकता है, अध्याय के तहत संबंध, मूल्यांकनकर्ता लेखक के अनुसार कार्य करेंगे जितना ऊपर संशोधित किया गया। रिट याचिका का अध्यापक ऊपर ट्रिम्स में तय किया जाता है और दलों को अपनी लागतें सहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अन्य याचिकाओं (नागरिक रिट याचिका में न्यायालय में 1737,205} IO 2053.208, 2097.2102, 2105, 2108, 2116, 2117, 2288, 2507, 2931, 3258 3298.330033333333331831868888689818181861861868618181818181616161616 1636163616365757575757575747457574747464, 354, 354, 3544, 3573, 3574, 3542, 3544, 3575, 3577, 3592, 3647, 3601, 3661, 3674, 3654.3845, 3671, 3671, 3654.386, 3697, 3693, 3641, 3706, 3743, 3770, 3743, 3743, 3773, 3773, 3773, 3773, 3773, 1974) 1974 की 18.79 से, प्रत्येक व्यक्ति को खोजने के लिए इस विषय पर निर्धारित एक पंखा से अनुरोध नहीं है। उपरोक्त अधिनियम के अनुभागों के केवल विहार को चुनौती दी गई थी। ये याचिकाएं एक ही अवधि में सीमित हैं, जिसमें 1 9 74 के सी। वॉशर 2089 के रूप में शामिल हैं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा